उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1977]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 25 जुलाई, 1977 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 जुलाई, 1977 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्य हितों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषा

2–इस अधिनियम में ''समाचार पत्र'' का तात्पर्य किसी नियतकालिक मुद्रित कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हो।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टो के प्रकाशन का विशेषाधिक्रत होना

3–(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी सदन की किन्हीं भी कार्यवाहियों की सारता सही रिपोर्ट के किसी समाचार–पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार–पत्र में प्रकाशन के हेतु, किसी समाचार एजेन्सी द्वारा सामग्री के प्रदान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में, किन्हीं सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाहियों के लिये, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करता है जिसका प्रकाशन लोक–कल्याण के लिये नहीं है।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों के बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना

4–यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्यक्रम अथवा सेवा के भाग के रूप में बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टो अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह किसी समाचार–पत्र में प्रकाशित रिपोर्टो अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में लागू होता है।

विचाराधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होना

5–यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों।